Form No. III

फर्द–अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

किशनलाल **बनाम** **गोपाललाल वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970**

किस्म मुकदमा **राजस्व प्रार्थना–पत्र** नं0 **016** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.07.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त है जो शामिल पत्रावली है। पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता एसएन जाट ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता अप्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी संख्या 3 की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। पूर्व में प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार से पत्रांक/अभिलेखागार/2024/42 दिनांक 22.03.2024 से मूल अभिलेख पत्रावली प्राप्त हुई है जो कि पत्रावली के हम किता है। रिकार्ड पर लिया जाता है। पत्रावली के हम किता रहें। प्रार्थी स्वयं हाजिर। हाजिर प्रार्थी की पहचान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई। हाजिर वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपना प्रार्थना–पत्र नहीं चलाना चाहता है, अतः प्रार्थना–पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें। प्रार्थना–पत्र शामिल पत्रावली रिकार्ड पर लिया जाता है। नकल वकील अप्रार्थी को दिलवाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र बाबत् कोई एतराज नहीं होना जाहिर किया। इस पर हाजिर अधिवक्ता प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो पर सुना गया। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। हस्तगत प्रकरण प्राथमिक स्तर पर ही विचाराधीन है प्रकरण में अप्रार्थीगण की और से जवाब प्रार्थना–पत्र शेष नहीं हुआ है एवं प्रार्थी स्वयं अपना प्रार्थना–पत्र नहीं चलना चाहता है, ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार किया जाता है, किन्तु प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विधि अनुसार अप्रार्थीगण को आवंटन नहीं अवगत कराया गया है, ऐसी स्थिति में आवंटन के संबंध में जांच कराया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः अधीनस्थ तहसीलदार निम्बाहेडा को	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा के प्रकरण संख्या भू–आवंटन कमेटी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के प्रकरण संख्या 125/2021 दिनांक 03.11.2021 से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को मौजा मैलाना तहसील निम्बाहेडा की आराजी संख्या 1673, 1524 के संबंध में अप्रार्थीगण गोपाललाल पिता मोतीलाल धाकड निवासी कनेरा, गुड्डीबाई पत्नी गोपाललाल धाकड निवासी कनेरा को किये गये आवंटन के संबंध में संक्षिप्त जांच कर अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने पर अन्तर्गत नियम 14 (04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के तहत नवीन प्रकरण प्रस्तुत करावें, व प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो को स्वीकार किया जाता है एवं हस्तगत प्रार्थना–पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार को मूल अभिलेख मय अहकाम की प्रति के लौटाया जावें। तहसीलदार निम्बाहेडा को अहकाम की प्रति सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। –ह0– (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 31.07.2024	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official